

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना
सं. 19/2024-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 30 सितंबर, 2024

का.आ... (अ) .- केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 171 की उपधारा (2) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माल और सेवाकर परिषद् की सिफारिशों पर, 1 अप्रैल, 2025 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिससे उक्त धारा में निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बारे में जांच के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं करेगा कि क्या किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा लिया गया इनपुट कर प्रत्यय या कर दर में कटौती वास्तविक रूप से उस रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रदाय की गई माल या सेवाओं या दोनों की कीमत में समरूप कटौती में परिणत हुई है।

2. यह अधिसूचना राजपत्र के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[सं. सीबीआईसी-20016/25/2024-जीएसटी]

(राघवेन्द्र पाल सिंह)
निदेशक